सत्यमेव जयते

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण सप्ताह: (04/12/2023 - 09/12/2023)

राज्य सूचना-विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश दवारा महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल प्रदान करने, यौन उत्पीड़न को पहचानने एवं इसके विरुद्ध आवाज उठाने के उद्देश्य से अपने समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को इसके प्रति जागरुक और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह (4 से 9 दिसंबर 2023) का आयोजन किया गया।

"कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013"

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, हिमाचल प्रदेश द्वारा महिलाओं से किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को समयबद्ध और गोपनीय तरीके से प्राप्त करने एवं इसका उचित निपटान करने के लिए अधिनियम में निर्धारित एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), एनआईसी हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र का गठन किया गया। जिला अधिकारियों को संबंधित उपायुक्त कार्यालयों में मौजूदा आई.सी.सी के साथ खुद को जोड़ने का निर्देश दिया गया।

एनआईसी हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र की सशक्त महिलाएं

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर एक परस्पर संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सूचना-विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश राज्य तथा समस्त जिलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हुए, ताकि लोगों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मुहैया कराने एवं उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित किया जा सके। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर एक ऐसे माहौल का निर्माण करना था, जो कि यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता को बढ़ावा देता हो, और साथ ही सभी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर इंटरैक्टिव सत्र

श्रीमती वंदना सांख्यान, चेयरपर्सन आई.सी.सी, राज्य सूचना-विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा एक व्याख्यान दिया गया जिसका शीर्षक "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" था। इसका उद्देश्य "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जागरूक कराना एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, इसके अनुपालन और उपायों की समझ को विकसित करना था।

श्रीमती वंदना सांख्यान, अब चेयरपर्सन आई.सी.सी, एन.आई.सी एच.पी. स्टेट सेंटर में अधिनियम पर व्याख्यान देते हुए

श्रीमती सांख्यान जी के द्वारा व्याख्यान सत्र में संबंधित अधिनियम के कानूनी ढांचें, यौन उत्पीड़न की परिभाषा, रोकथाम की रूपरेखा, निवारण की प्रक्रिया, कर्मचारियों और नियोक्ता की इसमें भूमिका एवं महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल के निर्माण आदि जैसे प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। सत्र के दौरान एन.आई.सी के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कई प्रश्न एवं स्पष्टीकरण पूछे गए।

"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" पर व्याख्यान की झलक

एस.आई.ओ एन.आई.सी एच.पी. ने बहुमूल्य ज्ञान साझा करने और सभी को अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए उनकी सराहना की।

मोबाइल ऐप "हिंदी-बोध" द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

"कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। राज्य सूचना-विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित "हिंदी-बोध" मोबाइल ऐप पर एक क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 39 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस क्विज़ प्रतियोगिता में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार है:

स्थान	प्रतिभागी का नाम	प्रतिभागी का पद	नियुक्ति का स्थान
1.	श्री रामनारायण यादव	वैज्ञानिक-'बी'	सीजीओ काम्प्लेक्स, शिमला
2.	श्री विनोद गर्ग	जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, हमीरपुर	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, हमीरपुर
3.	श्री रवि किशन मीणा	जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, चंबा	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान अधिकारी, चंबा